

मोहनलाल बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार लूणी )

सू.अ.अ. अपील संख्या 143/2020

28.09.20

अपीलार्थी मोहनलाल जोशी एडवोकेट, मुनी महाराज के मंदिर के पीछे, मानसागर भीलबस्ती, महामदिर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.07..20 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् तहसीलदार लूणी के सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 77 दिनांक 21.01.20 की पालना में ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 54/2 व 54/10 रकबा 12 बीघा व 8 बीघा का दिनांक 29.01.20 को सीमा ज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.01.20 की प्रमाणित प्रति एवं सीमाज्ञान के अनुसार राजस्व नक्शा/मौके के माप रिपोर्ट, नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर की सीमाओं की माप व अन्य बिन्दु , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..( तहसीलदार लूणी ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

